

7-2-17

वकील उमरपदा उपस्थित पत्रावली मूल प्रकरण के साथ दिनांक 14-3-17 को पेश हो।

14-3-17

पत्रावली पेश हुई। शर्त का सब में का स्वयंसेवक रखने का निर्णय लिया है। भौतिक अधिकारी अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त है। अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-5-17 को पेश हो।

2/5/17

वकील उमरपदा का उपस्थित / पत्रावली मूल प्रकरण के साथ दिनांक दिनांक 29.6.2017 को पेश हो।

29.6.17

पेट्रोल शर्त, पत्रावली मूल प्रकरण के साथ दिनांक दिनांक 25/7/2017 को पेश हो।

15.5.17

पत्रावली आज विशेष लोक अदालत में पेशी में ली गई। पत्रावली का अवलीकन किया गया। शर्त का अन्तर्गत धारा 212 R.T.A मूल प्रकरण 177 R.T.A के साथ पेश किया गया। मूल प्रकरण न्यायालय में न्यायप्रति प्रक्रिया में विचारधीन है। चूंकि शर्त का 212 एवं 177 R.T.A शर्त ही प्रकृति के प्रकरण है। तथा 212 R.T.A के शर्त का निस्तारण मूल प्रकरण 177 की सुनवाई के साथ ही होना है। अतः अन्तर्गत 212 R.T.A की सुनवाई का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता; आवश्यकता पड़ने पर धारा 177 की पत्रावली में अन्तर्गत अर्द्ध दिया जा सकता है। अतः यह प्रकरण (पत्रावली) 177 R.T.A की मूल पत्रावली 128/2010 के साथ सम्बन्धित (club) की जाती है। पत्रावली नम्बर ले कर ली जाकर मूल वाद ल 128/2010 के साथ शामिल की जावे।

(धरपाल आर्य)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर